न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति० जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :– जीसीएमएरा नंबर 2024/63
मैन्युअल नंबर 21/2024

रजु दिनांकः :– 01.10.2024

1. फैलीराम पुत्र रामचन्द्र
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र
3. गोरधन पुत्र रामचन्द्र
4. रामभजन पुत्र रामचन्द्र
5. रामफूल पुत्र रामचन्द्र
   समस्त जाति मीना निवासी बडवाली ढाणी ग्राम राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा

(अपीलांटस)

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामपाल
2. हीरा देवी पत्नी स्व. नाथूलाल
3. आशा पुत्री स्व. नाथूलाल
4. दीपक पुत्र स्व. नाथूलाल
5. नीशा पुत्री स्व. नाथूलाल नाबालिग जरिए संरक्षिका माता हीरा देवी
6. महेश पुत्र स्व. नाथूलाल
7. राकेश. पुत्र स्व. नाथूलाल
8. सम्पत पुत्र स्व. नाथूलाल
   समस्त जाति मीना निवासी बडवाली ढाणी ग्राम राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा।
9. सुनीता पुत्री स्व. नाथूलाल पत्नी दिनेश जाति मीना हाल निवासी ग्राम मटवास तहसील लवाण जिला दौसा।
10. यूको बैंक शाखा राहूवास जरिए शाखा प्रबंधक
11. तहसीलदार तहसील राहूवास जिला दौसा

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः– 01. अपीलांटस की ओर से : श्री मोतीलाल योगी एडवोकेट
02. रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगा० 9 की ओर से : श्री वैभव गुरावा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 17/12/2025

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 593 दिनांक 19.01.2022 द्वारा तहसीलदार तहसील राहूवास जिला दौसा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 593 दिनांक 19.01.2022 इस आशय की पेश की गई कि वाकै ग्राम राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा स्थित है

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

जिसकी खातेदारी मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत 2051 से 2062 के खाता संख्या 74 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 9 के पूर्वज नाथूलाल पुत्र रामपाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। रेस्पो0 सं0 1 व रेस्पो0 सं0 2 लगा0 9 के पूर्वज नाथूलाल ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि को अपीलांट की माता पांची देवी पत्नी रामचन्द्र को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2006 को बेचान कर कब्जा मौके पर सम्भला दिया गया। अपीलांट अपनी माता के जीवनकाल से ही अपनी खरीदशुदा उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी खरीदने के पश्चात् अपीलांट की माता पांची देवी का देहान्त हो गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में विक्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट की माता के हक में अज्ञानतावश नही खुलवाया जा सका व अज्ञानतावश ही पांची देवी के देहान्त के बाद अपीलांट द्वारा भी उक्त भूमि का नामांतरण अपने नाम नहीं खुलवाया जा सका। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि विक्रेतागण नाथूलाल व प्रहलाद के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है नाथूलाल का देहान्त दिनांक 10.12.2021 को हो गया जिसका बेजा फायदा उठाते हुए पांची देवी को भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर देने व उसके वारिसानो का कब्जा मौके पर होने के तथ्य की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी नाथूलाल के देहान्त के पश्चात् रेस्पो0 सं0 1 लगा0 9 ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता के हो रहे नुमाईशी खातेदारी अंकन के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 593 अपने हक में खुलवा लिया जो निरस्तनीय है।

अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश करते हुए नामांतरण संख्या 593 दिनांक 19.01.2022 को निरस्त फरमाने व अपीलांट के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2006 के आधार पर नामांतरण खोलने तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने बाबत आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी की गई व तहसीलदार राहूवास से मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। मूल नामा0 अभिलेख प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए नामांतरण संख्या 593 दिनांक 19.01.2022 को निरस्त फरमाने व अपीलांट के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2006 के आधार पर नामांतरण खोलने बाबत आदेश फरमाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 1 लगा0 9 ने जवाब बहस में प्रश्नगत नामांतरण संख्या 593 दिनांक 19.01.2022 को वैध करार देते हुए अपीलांट की अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा मूल नामा0 अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2006 की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि खातेदार नाथूलाल, प्रहलाद पि0 रामपाल द्वारा ग्राम राहूवास स्थित खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि का विक्रय पांची देवी पत्नी रामचन्द्र को

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2006 कर दिया गया था परंतु उक्त विक्रय पत्र का नामांतरण दर्ज नहीं होने से उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पांची देवी के नाम दर्ज नहीं हो सकी। न्यायालय की राय में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ तहसीलदार राहूवास द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 593 दिनांक 19.01.2022 ग्राम राहूवास निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार राहूवास को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2006 नामांतरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17/12/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा